रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 1998/श्रावण 30, 1920

No. 311] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 1998/SRAVANA 30, 1920

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1998

सा. का. नि. 504 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1985 की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

80. दो-स्ट्रोकी इंजन तेल के विनिर्देश :

विनिर्देश	मानक	परीक्षण पद्धति
दो-स्ट्रोकी इंजन तेल श्रेणी विनिर्देश जे ए एस ओ एम-345-93 के अनुसार जे ए एस ओ-एफ सी और विनिर्देश सं. ए एस टी एम डी 4859 के अनुसार ए पी आई टी सी	85 का न्यूनतम धुआं सूचकांक	जे ए एस ओ-एफ सी के लिए जे ए एस ओ-एम 342-92 और ए पी आई टी सी के लिए ए एस टी एम डी 4857

उपर्युक्त विनिर्देश 1 अप्रैल, 1999 से प्रभावी होंगे।

[फा. सं. क्यू 15015/2/94-सी पी ए (II)]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

पाद-टिप्पणी:—मुख्य नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(ई), दिनांक 19 नवम्बर, 1986 के अनुसार प्रकाशित किए गए थे और तदन्तर का.आ. 433(ई), दिनांक 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64(ई), दिनांक 18 जनवरी, 1988 , का.आ. (ई), दिनांक 3 जनवरी, 1989, का.आ. 12(ई), दिनांक 8 जनवरी, 1990, जीएसआर 74 (ई), दिनांक 30 अगस्त, 1990, का.आ. 23(ई), दिनांक 16 जनवरी, 1991, जी एस आर 93 (ई), दिनांक 21 फरवरी, 1991, जी एस आर 95(ई), दिनांक 12 फरवरी, 1992, जी एस आर 329 (ई), दिनांक 13 मार्च, 1992 जी एस आर 475(ई), दिनांक मई, 1992, जी एस आर 797 (ई), दिनांक 1 अक्तूबर, 1992, जी एस आर 386 (ई), दिनांक 28 अप्रैल, 1993, जी एस आर 422 (ई), दिनांक 19 मई, 1993, जी एस आर 801 (ई), दिनांक 31 दिसम्बर, 1993, जी एस आर 176 (ई), दिनांक 2 अप्रैल, 1996, जी एस आर 631 (ई), दिनांक 31 अक्तूबर, 1997 द्वारा उनमें संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 1998

G.S.R. 504 (E).—In exercise of the powers conferred by section 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986 in Schedule I, after serial number 79 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

80. Specification of two-stroke engine oil:

Specification	Standard	Test Procedure
Two-stroke engine oil grade JASO-FC as per JASO M-345-93 specification and API TC as per specification No. ASTM D 4859.	Minimum smoke Index of 85.	JASO-M342-92 for JASO-FC and ASTM D-4857 for API TC

The above specification shall be effective from the 1st day of April, 1999.

[File No. Q. 15015/2/94-CPA (II)]

VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

Foot Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide Number S. O. 844 (E) dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433 (E) dated 18th April 1987, S.O. 64 (E) dated 18th January 1988, S.O. (E) dated 3rd January 1989, S.O. 190 (E) dated 15th March, 1989, GSR 913 (E) dated 24th October, 1989, S.O. 12 (E) dated 8th January 1990, GSR 74 (E) dated 30th August, 1990, S.O. 23 (E) dated 16th January 1991, GSR 93 (E) dated 21st February 1991, GSR 95 (E) dated 12th February, 1992, GSR 329 (E) dated 13th March 1992, GSR 475 (E) dated 5th May 1992, GSR 797 (E) dated 1st October 1990, GSR 386 (E) dated 28th April 1993, GSR 422 (E) dated 19th May 1993, GSR 801 (E) dated 31st December 1993, GSR 176 (E) dated 2nd April 1996, GSR 631 (E) dated 31st October, 1997.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998